APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंडर

सीताराम बनाम मंजू देवी वगै.

मुकदमा प्रा०-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नं. 53/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.3.22	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई वकील प्रार्थी ने अपने प्रा०-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दिनांकित 17/8/21 जवाब प्रारम्भिक आपत्ति में उठाये गये तथ्य निराधार होकर विधि प्रावधानों द्वारा वर्जित है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में जो उनवानी सीताराम बनाम मंजूदेवी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा०-पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था। क्योंकि उक्त दिन दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं हुए है अतः पूर्व वाद पत्र 09 नियम 3 व 4 CPC में खारिज हुआ है ऐसी स्थिति में नया वाद प्रस्तुत किया जा सकता है इसलिये अप्रार्थी द्वारा उठाये गये तथ्यों को अस्वीकार करते हुए वाद फैसला तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांकित 19.4.2021 की अवधि बढ़ाई जाने का निवेदन किया है। जबकि तर्क में अप्रार्थी नं. 1 के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रा०-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पूर्व के विचाराधीन पत्रावली के आदेशिका से स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती वाद को खारिज होते समय प्रतिवादी जरिये वकील उपस्थित थे जिसके लिये सी.पी.सी. के आदेश 9 नियम 8 में दी गई व्यवस्था के अनुसार वाद खारिज हो जावेगा। आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के अनुसार	

उपखण्ड अधिकारी

अन्यथा (जिससे वादी नया वाद नहीं ला सकेगा)
अर्थात वादी सीताराम का हस्तजात दावा सद्भुरत
के खारिज होने योग्य है इसलिये उठाई गई।
आपत्तियों के मद्देनजर प्रा०-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थी खारिज करने का निवेदन किया गया है।
हमने प्रार्थी का प्रा०-पत्र में वर्णित तथ्यों व
जवाब प्रा०-पत्र अप्रार्थी के वर्णित तथ्यों व
जारी अस्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक
19-4-2021 व पत्रावली पर संलग्न उपलब्ध
राजस्व रिकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते
उभय पक्ष वकील पक्षकारान का श्रवण किया गया।
जिसमें न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को ना: दावा
फैसला तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति
बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित
व न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि इस अस्थाई
निषेधाज्ञा प्रा०-पत्र के निर्णय से किसी भी पक्षकार
का कोई हित प्रभावित होने की सम्भावना नहीं
होती है। क्योंकि इस न्यायालय द्वारा मूल वाद
के हक हित तय किये जाने हैं ताकि चलते
विवाद में पक्षकारों के मध्य अन्य किसी भी प्रकार
का कोई नया वाद उत्पन्न न हो सके उक्त
तथ्यों के द्रष्टिगत आवेदक व अनावेदकगण
को ना: दावा फैसला तक प्रा०-पत्र के विवादित
भूमि बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति
बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।
पत्रावली मय मिसल शामिल होकर दर्ज रजिस्टर
न करके हो एवं वाद तकमील मूल वाद के
शामिल होकर दाखिल दफ्तर हो।